55

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प, सागर (म.प्र.)

नि - 2089 - I - 16

ज्ञानचंद वल्द नन्हेलाल जैन,

निवासी - रहली, बजरिया, तहसील रहली,

जिला सागर (म.प्र.)

----- **पुनरीक्षणकर्त्ता**

!! विरूद्ध !!

प्रहलाद वल्द नन्ने भाई कुर्मी,

निवासी - पटना बुजुर्ग, तहसील रहली,

जिला सागर (म.प्र.)

----- **रेसपान्डेन्ट**

28/6/16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. -

पुनरीक्षणकर्त्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, रहली, जिला सागर के रा.अ.प्र.क्र. : 3 अ/16/14/15, पक्षकार प्रहलाद कुर्मी विरूद्ध ज्ञानचंद जैन में पारित आदेश दिनांक : 03-05-2016 से दुःखित होकर निम्नलिखित विधि एवं तथ्य के आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

(1) यहकि, मौजा जामघाट, पटवारी हल्का नं. : 7, तहसील रहली की जमीन खसरा नं. : 169/1 व खसरा नं. : 169/2 रकवा 0.72 हे. व 0.72 हे. जमीन जिसके मालिक पुनरीक्षणकर्त्ता हैं । पुनरीक्षणकर्त्ता की कुछ जमीन पर रेसपान्डेन्ट ने जबरन कब्जा कर लिया । उसका केस सिविल कोर्ट में लंबित है । जिसका केस नम्बर : 6 अ/2016 है तथा पेशी : 13. 6. 2016 की है । अतः रेसपान्डेन्ट का यह कहना कि उन्हें केस की जानकारी नहीं है, झूठ है । यहकि,

55

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2089-एक/2016 जिला सागर ज्ञानचंद विरूद्ध प्रहलाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रहली जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 3अ/16 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 03-05-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-06-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

4.1.19

	लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य	1.19